<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042021-226762 CG-DL-E-26042021-226762

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1575]

No. 1575]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2021/वैशाख 6, 1943 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2021/VAISAKHA 6, 1943

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2021

का. आ. 1698(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ के उप-खंड (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, " जसपुर, अहमदाबाद में विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा संचालित माँ उमिया मंदिर, (पैन संख्या :AACTV3807E)" को एतद्वारा निर्धारण वर्ष 2022-23 के संगत वित् वर्ष 2021-22 से उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए गुजरात राज्य के कलात्मक महत्त्व के स्थान तथा राज्य भर में प्रतिष्ठा के सार्वजनिक पूजास्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 36 \2021 फा.सं.-176/1/2021-आई टी ऐ-1]

रविन्द्र मैनी, निदेशक

2392 GI/2021 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2021

S.O. 1698(E).—In the exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Maa Umiya Temple managed by Vishv Umiya Foundation at Jaspur, Ahmedabad (PAN: AACTV3807E)" to be place of artistic importance and a place of public worship of renown throughout the state of Gujarat State for the purposes of the said section from the Financial Year 2021-2022 relevant to the Assessment Year 2022-2023.

[Notification No. 36 /2021/F. No. 176/1/2021/ITA-I]

RAVINDER MAINI, Director